UPSB010049572022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र
पीठासीन–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,UP05607

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2361 / 2022

राधेश्याम यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव, निवासी–उरमौरा, थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. आवेदक **राधेश्याम यादव** अ.सं.–747 / 2022 धारा–399, 402 भा. दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में अभियुक्त है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक **राधेश्याम यादव** के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश चौबे एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दांडिक श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना एवं केस डायरी का सम्यक् परिशीलन किया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है, न निरस्त किया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिनांक–30.09.2022 को करीब 1.30 बजे रात्रि उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने हमराही पुलिस कर्मियों के साथ देखभाल क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर वीर लोरिक पत्थर से आगे काली मंदिर के पास अभियुक्तगण को संदिग्धावस्था में देखा जो पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास किये जिन्हें दबिश देकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम नागेन्द्र सिंह पटेल, दूसरे ने अपना नाम राधेश्याम यादव, तीसरे ने अपना नाम शशिकान्त भारती, चौथे ने अपना नाम अरविन्द यादव, पांचवे ने अपना नाम राजू कुमार व छठे ने अपना नाम अब्दुल खान व पता बताया। जामा तलाशी पर अभियुक्त नागेन्द्र सिंह पटेल के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व जेब से तीन सौ रूपये बरामद हुए। अभियुक्त राधेश्याम यादव के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिन्दा कारतूस 315

बोर व जेब से दो सौ रूपये बरामद हुए। अभियुक्त शशिकान्त भारती की जेब से दो सौ रूपये बरामद हुए। अभियुक्त अरविन्द यादव की जेब से एक सौ पचास रूपये बरामद हुए। अभियुक्त राजू कुमार की जेब से सौ रूपये बरामद हुए तथा अभियुक्त अब्दुल खान की जेब से एक सौ सत्तर रूपये बरामद हुए। पूछताछ पर अभियुक्तगण ने बताया कि वे एकांत स्थान पर ट्रकों व बसों को रोक कर तमंचा दिखाकर डरा–धमका कर रूपये पैसे लूटते हैं और उसी की योजना बना रहे थे। अभियुक्तगण के कब्जे से 2 मोटर साइकिलें पंजीयन नंबर–यू.पी.64ए.सी./5919व यू.पी.64ए.एन./1047बरामद हुईं जिनसे अभियुक्तगण ने घटना स्थल पर आकर घटनाएं कारित करने की योजना बनाना बताया। बरामद शस्त्र व मोटर साइकिलों के कागजात मांगने पर अभियुक्तगण नहीं दिखा सके। अतः उन्हें कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लेकर व बरामद माल को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेकर सील–मोहर कर फर्द मौके पर लिख, पढ़, सुनाकर, सर्व संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये व फर्द की नकल अभियुक्तगण को देकर माल–मुल्जिमान को थाने दाखिल कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। आगे अभिकथन किया गया है कि अभियोजन कथानक गलत व बेबुनियाद है। आवेदक को घर से पकड़कर इस मामले में संलिप्त किया गया है। गिरफ्तारी/बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह घटना स्थल पर नहीं पकड़ा गया है, न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी हुई है। आवेदक दिनांक–01.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। समर्थन में अभियुक्त की मां पानपती देवी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने हेतु तर्क प्रस्तुत किये, जबकि विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया है।

4. मैंने थाने की आख्या का भी सम्यक परिशीलन किया जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है।

5. केस डायरी के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है है कि अभियुक्त को अन्य सह अभियुक्तगण के साथ घातक शस्त्रों सहित एकत्र होकर डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व जेब से दो सौ रूपये बरामद होना बताया गया है, किन्तु घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास में वर्णित किसी मामले में उसे दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक–01.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

6. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों में अभियुक्त के अपराध की प्रकृति, दंड की मात्रा, विवेचना में एकत्र सामग्री व आवेदक की कारागार में निरूद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदन को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक **राधेश्याम यादव** का अ.सं.–747/2022 धारा–399, 402 भा.दं.सं., थाना–रॉबर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2361/2022 स्वीकार किया जाता हैं। आवेदक को उक्त प्रकरण में रू.1,00,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू बंध पत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे–

1. आवेदक बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
2. आवेदक विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा–313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. आवेदक वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देगा कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. आवेदक साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
5. जो अभियोग आवेदक पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेगा।

दिनांक–18.10.2022

(**अशोक कुमार यादव–I**)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2022.10.18 17:44:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra